न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 162/2017

अनवान :

अनुज ढाका पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमागनढ़।

– वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– असल प्रतिवादी

2. एचडीएफसी बैंक शाखा अग्रोहा जरिये शाखा प्रबन्धक जिला हिसार।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. अरूण कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी

निर्णय **दिनांक : 15.11.17**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 5एएमएस के वर्तमान खाता सं0 70/64 के मु0नं0 55 के किला नं0 11, 20, 21 की 0.759 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 1 की 0.253 है0 कुल 1.012 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एएमएस के वर्तमान खाता सं0 61/59 के मु0नं0 33 के किला नं0 24 ब 25 की 0.506 है0 मु0नं0 34 के किला नं0 21 ता 25 मु0नं0 35 के किला नं0 1 ता 25 मु0नं0 36 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0नं0 39 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15 की 12.144 है0 नहरी मय रास्ता एंव खाला की खातेदारी भी प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले मनीराम जो प्रतिवादी प्रतापसिंह का भाई था तथा मनीराम अपने ताऊ हेमराज के गोद गया हुआ था। हेमराज के देहान्त होने पर उक्त भूमि मनीराम को प्राप्त हुई गई तथा मनीराम ने उक्त कुल वादभूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी प्रतापसिंह के पक्ष में वसीयत करवा दी एवं मनीराम के देहान्त होने पर जरिये वसीयत उक्त वादभूमि विरासतन प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम से दर्ज हो गई। इस प्रकार वादभूमि पुश्तैनी कृषिभूमि है जो प्रतिवादी प्रतापसिंह को विरासतन में प्राप्त हुई है तथा इसके अलावा प्रतापसिंह के पास अन्य कृषि भूमि भी संयुक्त परिवार की आय आमदनी से खरीद की हुई है तथा कुछ भूमि तारादेवी के नाम से भी खरीद की हुई है।

RW

वाद भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें वादभूमि वादी व प्रतिवादी अरूणकुमार को प्राप्त हो गई थी तथा प्रतिवादी के पास संयुक्त परिवार की आय आमदनी से अर्जित की गई शेष भूमि रह गई थी। पारिवारिक सैटलमेन्ट में कुल भूमि वादी एवं प्रतिवादी अरूणकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादीसं0 2 तर्क किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मनीराम पुत्र मुन्शीराम हेमराम के गोद चलागया व कुंआरा फौत हो गया। सारी भूमि प्रतापसिंह को मिल गई। हेमराज मुंशीराम का सगा भाई था। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 5 व 6 एएमएस में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। प्रकरण में वादभूमि वादी के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है वादी के पिता को यह सम्पति अपने भाई मनीराम से प्राप्त हुई। जब वादभूमि वादी के पिता को ही विरासतन अपने पैतृक भूमि के हक के आधार पर प्राप्त नहीं हुई तो उस सम्पति में वादी का पैतृक सम्पति के आधार पर कोई दावा नहीं बनता है।

अत : वाद वादी डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15:11:17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 162/2017

अनवान :

अनुज ढाका पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमागनढ़।

– वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– असल प्रतिवादी

2. एचडीएफसी बैंक शाखा अग्रोहा जरिये शाखा प्रबन्धक जिला हिसार।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. अरूण कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थित में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं वाद वादी डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.11.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़